# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.09.2023

**1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये दो शातिर चोरों को चोरी की 08 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।**

**घटनाक्रम का विवरण--** दिनांक 01.09.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा कैप्सूल कट पर चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार अभियुक्तों 1.अंकित कुमार पुत्र सुखबीर सिंह 2.अंकुश पुत्र मकरन्द सिंह को चेकिंग के दौरान दो चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर उनके द्वारा चोरी की गयी 6 मोटरसाइकिल को पुस्ते की नाली झाड़ियों के पास गौर सिटी-1 से बरामद किया गया। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना बिसरख, थाना सूरजपुर, व थाना इन्द्रापुरम (गाजियाबाद) में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे दो ओर साथी आशीष पुत्र रघुवीर सिंह व यश पुत्र पवन सिंह द्वारा गैंग बनाकर नोएडा, गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की जाती है। अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर जनपद गाजियाबाद, नोएडा व आस-पास के जनपदो, मॉल के आस-पास व मॉल की पार्किंग में खडी मोटरसाइकिलों को मास्टर चाबी की मदद से चोरी कर खाली पडी जगह में सुनसान जगह में छिपाकर रख देना व मौका मिलने पर चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को औने-पौने दामो पर बेच देना व गैंग के अन्य फरार सदस्यों के द्वारा भी और मोटरसाइकिल चोरी कर बेचना।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--**

1. अंकित कुमार पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम ओंतो, थाना दिबियापुर, जिला औरेया वर्तमान पता अनिल फौजी का मकान, गली नं0 05, पक्षी विहार, देवला, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।
2. अंकुश पुत्र मकरन्द सिंह निवासी ग्राम अंगोथा, थाना कोतवाली मैनपुरी, जिला मैनपुरी वर्तमान पता गली नं0-03, भीकम सिंह कॉलोनी, कृष्णा नगर, थाना फर्श विहार, दिल्ली उम्र 23 वर्ष।

**अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--**

अभियुक्त अंकित कुमार--

1. मु0अ0सं 730/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं 732/2023 धारा 379/411 भादविथाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं 737/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं 738/2023 धारा 411/414/34 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं 402/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं 471/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं 301/2022 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।

अभियुक्त अंकुश--

1. मु0अ0सं 730/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं 732/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं 737/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं 738/2023 धारा 411/414/34 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

5. मु0अ0सं 402/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं 471/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं 301/2022 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण--**

1. अभियुक्तों के कब्जे से 08 चोरी की मोटरसाइकिल
2. एक मास्टर चाबी।

**2.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे व 110 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद।

**घटनाक्रम का विवरण--** दिनांक 01.09.2023 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस, गोपनीय जानकारी के आधार पर चैकिंग के दौरान कैची की पुलिया से एक अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभि0 आकाश पुत्र नरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया, चचूरा नहर के पास से चैकिंग के दौरान एक अवैध तमंचा देशी 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त शिवम पुत्र सतेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा ग्राम चंडीगढ के पास से अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सुखा को 02 नीले रंग की कैन में 110 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभि0गण द्वारा, आसपास के क्षेत्रो में हरियाणा से लाकर कच्ची शराब बेची जाती है व अवैध तमंचे का इस्तमाल घटना कारित करने में किया जाता है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. आकाश पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम टिकरी थाना सिकन्द्रारॉव जिला हाथरस
2. शिवम पुत्र सतेन्द्र सिंह नि0 ग्राम टिकरी थाना सिकन्द्रारॉव जिला हाथरस
3. मुस्तफा पुत्र सुखा नि0 ग्राम खरेली भाव थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

**अभियुक्तो का अपराधिक इतिहास—**

1. अभियुक्त आकाश पुत्र नरेन्द्र--
   1. मु0अ0स0 220/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0

2. अभियुक्त शिवम पुत्र सतेन्द्र सिंह--
   1. मु0अ0सं0 221/2023 धारा 3/25 आयुध अधि ,थाना रबूपुरा गौतमबुद्दनगर
   2. मु0अ0स0 235/2021धारा 323,325,504 भादवि थाना कासना , गौतमबुद्धनगर

3.अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सुखा--
   1. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 ,थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
   2. मु0अ0स0 164/2015 धारा 60,63 आबकारी अधि0 , थाना रबूपुरा , गौतमबुद्धनगर

**बरामदगी का विवरण--**

1. दो तमंचा देशी 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक मो0सा0 रजि0 नं0 यूपी 16 डी 3723 अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट
3. 02 नीले रंग की कैन में 110 लीटर अवैध कच्ची शराब